

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

संचिका सं० 17/ए1-एस0-02/08.. 846(17)../पटना, दिनांक-30/6/08

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के निम्नांकित विभागों के अधीन अतिरिक्त सहायक प्राध्यापकों को स्थानान्तरित कर उनके नाम के सामने अंकित चिकित्सा महाविद्यालयों में पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	चिकित्सक शिक्षक का नाम एवं वर्तमान पदस्थापन स्थान	नव पदस्थापित चिकित्सा महा० का नाम
1	2	3
1	डा० उमेश प्रसाद भदानी, सहायक, प्राध्यापक, नेत्र रोग, श्रीकृष्ण चिकित्सा महा० मुजफ्फरपुर	पटना चि०महा०, पटना
2	डा० एस० एस० प्रसाद, नेत्र रोग विभाग श्रीकृष्ण चि०महा०, मुज०	पटना चि०महा०, पटना
3	डा० एन० के० मिश्रा, सहा० प्रा० सर्जरी, श्रीकृष्ण चि०महा०, मुज०	अनु०ना०म०चि०महा०, गया

2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

3. स्थानान्तरित सहायक प्राध्यापको को अविलंब योगदान देने हेतु स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) स्तर से विरमित किया जाता है ।

4. आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा अपना प्रभार प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को दो प्रतियों में दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करायेंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डा० प्रमोद कुमार)

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक- 17/ए1-एस0-02/08 846(17)

/पटना, दिनांक- 30/6/08

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी / वित्त विभाग, पटना / संबंधित प्राचार्य / अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/ संबंधित चिकित्सक शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव, स्वा० विभाग के सचिव/अपर आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक / संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक / प्रभार पदाधिकारी-1 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।